जन–सुनवाई कार्यवृत्त

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णिते प्रावधानों के अंतर्गत मैसर्स श्री रोहित मिश्रा एण्ड कॉ एप्लीकेंट, माईनिंग जो कि (खसरा नम्बर 54) (क्लस्टर क्षेत्रफल 6.9883 हैक्टेयर) में प्रस्तावित है जिसका रेफरेन्स नम्बर 2019100002792, खनन पट्टा क्षेत्रफल, 2.9974 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3,12,060 टन प्रतिवर्ष रोम (बॉल क्ले, सिलिका सेंड, कंकर, ग्रेवल एवं मुर्ररम) है, उक्त प्रस्तावित खनन परियोजना की पर्यावर्णीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई दिनांक 21.03.2023 को ग्राम पंचायत भवन, गंगापुरा, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर (राजस्थान) में मध्यान्ह 12.00 बजे से जिला कलेक्टर बीकानेर के प्रतिनिधि श्री ओमप्रकाश, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, प्रशासन बीकानेर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ठ "अ" में सलंग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 16.02.2023 को समाचार पत्र The Indian Express एवं दैनिक युगपक्ष में प्रकाशित करवाई गई थी जिसकी प्रतियाँ परिशिष्ठ "ब" में संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री प्रदीप कुमार आसनानी, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर ने सभी आगुन्तको का स्वागत करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अंतर्गत सुनवाई की आवश्यकता /प्रक्रिया के बारे में अवगत करवाया एवं एवं बताया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी । क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा सभी आमजन से खनन परियोजना से जुड़ी जानकारी को ध्यान से सुनने एवं समझने हेतु निवेदन किया गया तथा पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने के बाद आपत्ति या सुझाव दर्ज करवाने हेतु भी निवेदन किया गया। इसके पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु मैसर्स श्री रोहित मिश्रा एण्ड कॉ एप्लीकेंट, माईनिंग माइन्स के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार मैसर्स मन्त्रास ग्रीन रिर्सोसेज प्राईवेट लिमिटेड'' को आमंत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार मैसर्स मन्त्रास ग्रीन रिर्सोसेज प्राईवेट लिमिटेड'' के प्रतिनिधि संजय वर्मा ने बॉल क्ले, सिलिका सेंड, कंकर, ग्रेवल एवं मुर्ररम खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, जिसके अन्तर्गत बताया कि इस माईन्स का रेफरेन्स नम्बर 2019100002792, कुल खनन क्षेत्र **2.9974** हेक्टेयर, खनिज–बॉल क्ले, सिलिका सेंड, कंकर, ग्रेवल एवं मुर्ररम एवं उत्पादन क्षमता **3,12,060 टी.पी.ए** (आर.ओ.एम) है। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना कि विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर के क्षेत्रीय अधिकारी श्री प्रदीप कुमार आसनानी ने जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपना आक्षेप एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

इस क्रम में अपने विचार रखते हुए श्री ओमप्रकाश, गाँव कोटड़ी ने अपने विचार रखते हुए खनन पट्टा धारक एवं सह आवेदक से प्रश्न किया कि खनन को दौरान गाँव से निकलने वाली गाड़ियों से उड़ने वाली धूल के दमन हेतु क्या व्यवस्था की जायेगी ?

इसके प्रत्युत्तर में परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार मैसर्स मन्त्रास ग्रीन रिर्सोसेज प्राईवेट लिमिटेड'' के प्रतिनिधि संजय वर्मा ने बताया कि धूल दमन के लिये खनन इकाई से एप्रोच रोड (हौल रोड) तक सड़क के किनारे पेड़ पौधे लगाये जायेगें एवं टैंकर द्वारा दिन में दो बार पानी का छिड़काव किया जायेगा।

श्री रामनिवास, निवासी ग्राम खारी द्वारा कहा गया कि खनन से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिये आप द्वारा क्या उपाय एवं प्रयास किये जायेगें ?

इसके प्रत्युत्तर में परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार मैसर्स मन्त्रास ग्रीन रिर्सोसेज प्राईवेट लिमिटेड'' के प्रतिनिधि संजय वर्मा ने बताया कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण से ही प्रदूषण को कम किया जा सकता है और ट्रको के आवागमन से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिये पानी का छिड़काव किया जायेगा। इस हेतु लगभग 989 पौधों को लगाने की योजना बनाई गई है यथापि संरपंच एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा बताया जाने पर माईनिग एरिया के 33% के अतिरिक्त सार्वजनिक जगह पर भी पौधारोपण करवा दिया जायेगा।

इस सम्बन्ध में श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रशासन महोदय ने कहा कि खनन पट्टा धारक द्वारा पर्यावरणीय सलाहकार के माध्यम से खनन योजना के प्रस्तुतिकरण में जो उपाय बताये गये है इन पर अच्छे से अम्ल करने पर प्रदूषण की समस्या का काफी हद तक समाधान हो जायेगा। श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रशासन महोदय ने यह भी कहा कि परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा बताये गये उपायों/वादों की निगरानी का कार्य भी ग्रामवासियों द्वारा किया जाना चाहिये ताकि नियमों की समूचित पालना हो सके।

श्री हजारीराम, निवासी ग्राम गंगापुरा द्वारा पूछा गया कि खनन पट्टा जारी होने के बाद पट्टा धारक द्वारा कि गाँव के स्थानीय लोगों को कितना रोजगार मिलेगा ?

इसके प्रत्युत्तर में परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार के प्रतिनिधि ने बताया कि खनन इकाई में स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी। इसके साथ ही डम्पर, ट्रेक्टर, गाड़ी इत्यादि को किराये पर लेने मे भी स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता दी जायेगी बशर्ते उनके पास लाईसेंस, पीयूसी एवं अन्य जरूरी दस्तावेज हो।

श्री हजारीराम, निवासी ग्राम गंगापुरा द्वारा प्रश्न किया गया कि प्रायः यह देखा गया है कि खनन इकाईयों द्वारा समूचित व्यवस्था जैसे वाहनों को तिरपाल से ढकना, वृक्षारोपण, पानी का छिड़काव इत्यादि कार्य सही तरीके से नहीं किये जाते है। इस हेतु खनन इकाई द्वारा क्या ठोस उपाय किये जायेगे ?

इसके प्रत्युत्तर में परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार के प्रतिनिधि ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा समय–समय पर खनन इकाईयों का निरीक्षण कर प्रदूषण सम्बन्धित जाँच की जाती है।

श्री हजारीराम, निवासी ग्राम गंगापुरा द्वारा पुनः प्रश्न किया गया कि खनन इकाईयों द्वारा स्थानीय ग्रामीणों के वाहन न लगा कर अपने खुद के रिश्तेदारों के वाहन लगा देते है। स्थानीय लोगों को दस्तावेजों में कमी दिखाकर कर उनके वाहन नहीं लगाये जाते है।

इस सम्बन्ध में खनन पट्टा धारक श्री रोहित मिश्रा द्वारा आश्वासन दिया गया कि खनन इकाई में कार्य हेतु लिये जाने वाले श्रमिक/मजदूर गाँव से ही लिये जायेगें। इसी प्रकार सभी डम्पर, ट्रैक्टर, गाड़ी इत्यादि भी ग्रामवासियों से ही लिये जायेगें बशर्ते वाहनों के नियमानुसार समस्त दस्तावेज पूर्ण हों।

श्री रेवन्त राम, निवासी ग्राम गंगापुरा ने अपने विचार रखते हुए पट्टा धारक से प्रश्न किया कि खनन इकाई द्वारा गाँव के विकास हेतु कितना अनुदान दिया जायेगा, साथ ही सालाना 10 लाख रूपये ग्राम विकास हेतु अनुदानित किये जाने की इच्छा व्यक्त की। श्री रेवन्त राम द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय को बताया गया कि वर्तमान में संचालित खनन इकाईयों द्वारा ग्राम विकास एवं विद्यालयो हेतु किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया गया है। श्री रेवन्त राम द्वारा आग्रह किया गया कि उक्त खनन इकाई द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में योगदान जैसे विद्यालय में सुविधाओं का विकास, गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा इत्यादि कार्य करवाये जायें। श्री रेवन्त राम द्वारा यह भी बताया गया कि पूर्व में स्थापित किसी भी माईन्स द्वारा सही से वृक्षारोपण नहीं किया है एवं पानी का छिड़काव, तिरपाल से ढकना इत्यादि प्रदूषण की रोकथाम सम्बन्धी कार्य सही से नहीं किये जाते है। श्री रेवन्त राम ने श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय के माध्यम से निवेदन किया कि खनन इकाई द्वारा ग्राम पंचायत के परिसर में वृक्षारोपण का कार्य किया जाये एवं साथ ही ग्राम विकास हेतु समुचित कार्य करवायें जाये।

लीज धारक श्री रोहित मिश्रा द्वारा बताया गया कि गाँव के विकास के लिये विद्यालयों में आवश्यक सुविधा, पौधारोपण आदि कार्य CSR फण्ड के तहत किये जायेगें इसके अतिरिक्त ग्राम वासियों को अन्य सभी आवश्यक सहयोग उपलब्ध करवाने हेतु आश्वासन दिया गया।

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रशासन महोदय ने बताया कि खनन पट्टा धारक द्वारा प्रदूषण को रोकने हेतु समुचित प्रयास किये जायें एवं सीएसआर फण्ड के तहत आवश्यक कार्य किये जाये। श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय ने यह भी निर्देशित किया कि सम्बन्धित विभाग द्वारा खनन इकाईयों का समय–समय पर निरीक्षण कर नियमों की पालना करवाना सुनिश्चित किया जाये। श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय ने यह भी निर्देशित किया कि खनन इकाई द्वारा परियोजना के प्रस्तुतिकरण के दौरान किये गये वादों/बताये गये उपायों की

निगरानी रखने का कार्य ग्रामवासियों द्वारा किया जाना चाहिये। ग्रामवासियों को प्रदूषण की रोकथाम के अलावा भी अन्य कार्य जैसे कि विद्यालयों में आवश्यक सुविधा, स्मार्ट क्लास, आंगनबाडी सम्बन्धी कार्यो हेतु भी खनन इकाईयों से सहयोग लिया जाना चाहिये। श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय ने खनन पट्टा धारक को समस्त ग्रामवासियों का चिंरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण करवाने हेतु भी निर्देशित किया।

लीज धारक श्री रोहित मिश्रा द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से 117 लोग वंचित रहे है जिनका रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द पूर्ण करवा कर रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी।

अन्त में श्री प्रदीप कुमार आसनानी, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर ने श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय एवं उपस्थित जन समुदाय को जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया एवं जनसुनवाई के समापन की घोषणा की।

(प्रदीप कुमार आसनानी)
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.रा.प्र.नि.म., बीकानेर

(ओमप्रकाश)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
प्रतिनिधि, जिला कलेक्ट्रेट एवं मजिस्ट्रेट बीकानेर

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों एवं नागरिकों का उपस्थिति पत्र

मैसर्स श्री रोहित मिश्रा एण्ड कॉ एप्लीकेंट, (खसरा नम्बर 54 रेफरेन्स नम्बर 2019100002792 क्षेत्रफल 2.9974 हैक्टेयर) (क्लस्टर क्षेत्रफल 6.9883 हैक्टेयर), उत्पादन क्षमता 3,12,060 टी.पी.ए (रोम), जो कि चक नम्बर 1, निकट गंगापुरा, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर (बॉल क्ले सिलिका सेंड, कंकर, ग्रेवल एवं मुर्रम) में प्रस्तावित है कि पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 21.03.2023 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक ।

स्थानः– ग्राम पंचायत भवन, गंगापुरा, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर
दिनांकः–21.03.2023 समय मध्यान्ह 12.00 बजे।

क्र.स.	नाम	पद एवं विभाग / कार्यालय	हस्ताक्षर
1.	श्री ओम प्रकाश	ADM (Admin) District Collectorate Bikaner	[signature]
2.	श्री प्रदीप आसनानी	Regional Officer, RO, RSPCB Bikaner	[signature]
3.	पेमूराम	गंगापुरा निवासी	[signature]
4.	रामलाल	गंगापुरा निवासी	रामलाल
5.	पेमाराम	गंगापुरा निवासी	
6.	सुगनाराम	गंगापुरा निवासी	
7.	शेराराम	गंगापुरा निवासी	शेराराम
8.	Rohit Mishra	Leasee	[signature]
9.	BhanwarLal	Leasee	भवरलाल
10.	Sanwarmal	Leasee	सांवरमल
11.	Sanjay Verma	Mantras Green Resources Pvt. Ltd. Jaipur	[signature]
12.	Arvind Vaishnav	Mantras Green Resources Pvt. Ltd. Jaipur	[signature]
13.	लीलाधर	कोरड़ी	[signature]
14.	मदनलाल	चांडासर	[signature]
15.	ओमप्रकाश	कोरड़ी	[signature]
16.	हरमाना राम	बापनू	

17.	मूलाराम	भागूराम	मूलाराम
18.	आशाराम	कोटड़ी	आशाराम
19.	ओमकुमार	कौलायत	ओमकुमार
20.	मनोज कुमार	कोलायत	मनोज
21.	रामनिवास	खारी, बीकानेर	Ramniwas
22.	सुनिल कुमार	खारी	Sunil
23.	बनवारी	गंगापुरा	बनवारी
24.	रामकुमार	गंगापुरा	रामकुमार
25.	सुरेन्द्र	गंगापुरा	[illegible]
26.	आसुराम	गंगापुरा	आसुराम
27.	राजेश कुमार	गंगापुरा	राजेश
28.	दिनेश	खारी, गंगापुरा	दिनेश
29.	राकेश	गंगापुरा	Rakesh
30.	विकास	गंगापुरा	विकास
31.	हजारीराम रतिवाल	गंगापुरा	[illegible]
32.	रतनाराम	"	[illegible]
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			